



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08012026-269165
CG-DL-E-08012026-269165

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 79]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 6, 2026/पौष 16, 1947

No. 79]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 6, 2026/PAUSHA 16, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2026

का.आ. 89(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 के अनुसरण में, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3921(अ), तारीख 26 अगस्त, 2025, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,

(1) पैरा 1 में, खंड (iii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित खंड और प्रविष्टियां रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“(iii) सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन

-सदस्य सचिव।”।

विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

(2) पैरा 4 में -

(i) “राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति-1”, शीर्ष के अधीन, खंड (vi) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित खंड और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् :-

“वन संरक्षक, वाराणसी सर्किल, वाराणसी

-सदस्य सचिव।”।

- (ii) “राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति-2”, शीर्ष के अधीन, खंड (vi) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित खंड और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् :--

“वन संरक्षक, वाराणसी सर्किल, वाराणसी - सदस्य सचिव।”।

[फा. सं. जे-11013/43/07-आईए.॥(I) (पीटी.)]

रजत अग्रवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3921, तारीख 26 अगस्त, 2025 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2026

S.O. 89(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the *erstwhile* Ministry of Environment and Forests, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, the Central Government hereby makes amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* number S.O. 3921 (E), dated the 26th August, 2025, namely:-

In the said notification,—

- (1) In paragraph 1, for clause (iii) and the entries relating thereto, the following clause entries shall be substituted, namely:

“(iii) Secretary, Environment, Forest and Climate Change - Member Secretary.”.
Department, Government of Uttar Pradesh

- (2) In paragraph 4, —

- (i) Under heading “State Level Expert Appraisal Committee-1,” for clause (vi) and the entries relating thereto, the following clause and entries shall be substituted, namely:

“(vi) Conservator of Forests, Varanasi Circle, Varanasi -Member Secretary.”.

- (ii) Under heading “State Level Expert Appraisal Committee-2” for clause (vi) and the entries relating thereto, the following clause and entries shall be substituted, namely:

“(vi) Conservator of Forests, Varanasi Circle, Varanasi - Member Secretary.”.

[F. No. J-11013/43/07-IA.II(I)(Pt.)]

RAJAT AGARWAL, Jt. Secy.

Note. -The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 3921 (E), dated the 26th August, 2025.